मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल – 462004

Website : www.mpmandiboard.gov.in E-mail : programmer.mpmandiboard@gmail.com Tel: 0755-4270541

क्रमांक / बी–5 / 2 / ई–अनुज्ञा / 2020–21 / 109 भोपाल दिनांक 16 मार्च 2021

प्रति,

संयुक्त संचालक / उप संचालक,
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय,
भोपाल / इंदौर / उज्जैन / ग्वालियर / सागर / जबलपुर / रीवा (म0प्र0)।

विषयः–300 क्विंटल से अधिक मात्रा की अनुज्ञा पत्रों के सत्यापन के संबंध में।
संदर्भः–कार्यालयीन पत्र क्रमांक / बी–5 / 2 / ई–अनुज्ञा / 2019–20 / 1299–1300 दिनांक 21 / 01 / 2020।

–0–

उल्लेखित विषय में अंचल की मण्डी समितियों से दिनांक 16 / 08 / 2019 से जारी हो रही ई–अनुज्ञा पत्रों के सत्यापन एवं उनकी जांच करने पर विशेष ध्यान दिये जाने संबंधी विस्तृत दिशा–निर्देश संदर्भित पत्र से दिये गये थे, जिसके संबंध में आपसे प्रतिवेदन अपेक्षित होने के कारण वस्तुस्थिति का समाधान संभव नहीं हो पाया है। यह स्थिति ई–अनुज्ञा दैनिक कार्य संचालन की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

1/ प्रदेश की सभी मण्डी समितियों में दिनांक 16 / 08 / 2019 से शतप्रतिशत क्रियान्वित की जा रही ई–अनुज्ञा प्रणाली से दिनांक 24 / 02 / 2021 तक की अवधि में 23,28,421 ई–अनुज्ञा जारी किये गये हैं तथा इनका त्वरित गति से सत्यापन भी किया जा रहा है साथ ही 1,67,38,382 भुगतान पत्रक भी दर्ज हुये हैं। तब से लेकर अब तक कुछ मण्डी समितियों द्वारा ई–अनुज्ञा पत्रों / भुगतान पत्रकों में संशोधन / डिलिट की कार्यवाही तथा तकनीकी कठिनाईयॉ समय समय पर मण्डी बोर्ड के प्रकाश में लाई गई हैं, जिनका निराकरण किया है और निरंतर कर रहे हैं।

2/ ई–अनुज्ञा में कुछ ऐसी अनुज्ञायें भी जारी की गई हैं जिनमें 300 क्विंटल से अधिक मात्रा की सिंगल अनुज्ञायें है। ऐसी अनुज्ञाओं की संभागवार संख्या परिशिष्ट–01 पर तथा 400 क्विंटल से अधिक मात्रा की अनुज्ञाओं की संभागवार संख्या परिशिष्ट–02 पर एवं 500 क्विंटल से अधिक मात्रा के अनुज्ञाओं की संभागवार संख्या परिशिष्ट–03 पर मय सत्यापन रिपोर्ट के संलग्न है, का अवलोकन करें, इस पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

3/ उपरोक्तानुसार अधिक मात्रा की जारी ई–अनुज्ञाओं की संयुक्त संचालक / उप संचालक, आंचलिक कार्यालय इस स्थिति की स्वयं जांच कर लें कि क्या क्रेता और विक्रेता एक ही मण्डी क्षेत्र के हैं? ऐसी अनुज्ञा पत्र का सत्यापन उसी मण्डी सचिव द्वारा किया जाना है, जिसकी मण्डी में अनुज्ञा पत्र जारी हुआ है। इसका सत्यापन लंबित होना विचारणीय है।

उदाहरण के तौर पर नीमच मण्डी के द्वारा 500 क्विंटल से अधिक मात्रा की 81 अनुज्ञायें जारी गई हैं जिनमें से 18 अनुज्ञायें सत्यापित की गई है जबकि 63 अनुज्ञायें असत्यापित हैं। इन सत्यापित 18 अनुज्ञाओं में जिन्स (चिरायता, मेंथीदाना, उड़द, गेहूं) की वजन मात्रा 503 क्विंटल से 1400 क्विंटल के मध्य दर्शाई गई है, यह जांच कर लें क्या इतनी बड़ी मात्रा को अंकित वाहन नंबर में परिवहन किया गया है अथवा नहीं?

यही स्थिति अन्य संभागों की मण्डी समितियों में परिलक्षित हो रही है सुलभ संदर्भ के लिये पत्र के पैरा दो अनुसार अपने अंचल की स्थिति का संज्ञान लेते हुये विशेष अभियान के रुप में लेकर सत्यापित करालें। मण्डी बोर्ड मुख्यालय के पत्र कमांक/बी–5/2/ई–अनुज्ञा/2019–20/1285 दिनांक 03/01/2020 से ''ई–अनुज्ञा पत्र'' सत्यापन की कार्यवाही किये जाने के संबंध में लेख किया गया है, जिसके पैरा कमांक–3 के अनुसार "eSeva" के यूआरएल http://transport.mp.gov.in को वेब ब्राउजर पर लॉगिन कर राज्य के अंदर जारी किये गये ई–अनुज्ञा पत्र में दर्ज वाहनों के नंबर एवं प्रकार की जांच करने हेतु लेख किया गया था।

उपरोक्तानुसार आप अपने संभाग की मण्डी समितियों से जारी होने वाले एवं उपरोक्तानुसार जारी हो चुके का परीक्षण विशेष अभियान के तहत करा लेवें एवं विपरीत परिस्थिति पाई जाने पर दोषिता का निर्धारण करते हुये स्पष्ट प्रतिवेदन प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(आ0पी0चकवर्ती)
संयुक्त संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

कमांक/बी–5/2/ई–अनुज्ञा/2020–21/110 भोपाल दिनांक 16 मार्च 2021

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(1) निज सहायक, प्रबंध संचालक महोदय के, मण्डी बोर्ड भोपाल।

(2) श्री मुशर्रफ सुल्तान, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, भारत सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, सी विंग, आधारतल, विंध्याचल भवन भोपाल।

(3) श्री अविनाश पाठे, सहायक संचालक (नियमन), मण्डी बोर्ड, भोपाल।

(4) श्री योगेश नागले, सहायक संचालक/मण्डी सचिव (नियमन), मण्डी बोर्ड, भोपाल।

(5) श्री रामकिशुन असाटी, ई–अनुज्ञा कंसलटेंट, मण्डी बोर्ड, भोपाल।

संयुक्त संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

परिशिष्ट - 01

अनुज्ञा -पत्र, जिनमें मात्रा (वजन) 300 क्विन्टल से अधिक है दिनाँक - 16-08-2019 से 24-02-2021 तक

अनुज्ञा -पत्र, जिनमें मात्रा (वजन) 300 क्विन्टल से अधिक है दिनाँक - 16-08-2019 से 24-02-2021 तक

स.क्र.	आँचलिक कार्यालय	कुल अनुज्ञा-पत्र	गंतव्य मंडी पर असत्यापित	गंतव्य मंडी पर सत्यापित
1	BHOPAL	51276	26620	24656
2	UJJAIN	44430	26465	17965
3	GWALIOR	40831	21743	19088
4	INDORE	32715	20360	12355
5	JABALPUR	30596	18015	12581
6	SAGAR	17347	6596	10751
7	REWA	3422	2135	1287
	कुल योग :-	220617	121934	98683

प्रिंट दिनाँक एवं समय: 25-02-2021 12 : 1

परिशिष्ट-02

अनुज्ञा -पत्र, जिनमें मात्रा (वजन) 400 क्विन्टल से अधिक है दिनाँक - 16-08-2019 से 24-02-2021 तक

स.क्र.	आँचलिक कार्यालय	कुल अनुज्ञा-पत्र	गंतव्य मंडी पर असत्यापित	गंतव्य मंडी पर सत्यापित
1	UJJAIN	5061	3498	1563
2	BHOPAL	3508	2584	924
3	JABALPUR	2282	1803	479
4	GWALIOR	1996	1026	970
5	INDORE	699	413	286
6	SAGAR	259	87	172
7	REWA	32	17	15
	कुल योग :-	13837	9428	4409

प्रिंट दिनाँक एवं समय: 25-02-2021 12 : 5

परिशिष्ट - 03

अनुज्ञा -पत्र, जिनमें मात्रा (वजन) 500 क्विन्टल से अधिक है दिनाँक - 16-08-2019 से 24-02-2021 तक

स.क्र.	आँचलिक कार्यालय	कुल अनुज्ञा-पत्र	गंतव्य मंडी पर असत्यापित	गंतव्य मंडी पर सत्यापित
1	BHOPAL	1960	1641	319
2	UJJAIN	1164	760	404
3	JABALPUR	472	360	112
4	GWALIOR	203	84	119
5	INDORE	180	111	69
6	SAGAR	25	7	18
7	REWA	1	1	0
	कुल योग :-	4005	2964	1041

प्रिंट दिनाँक एवं समय: 25-02-2021 12 : 6